



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062025-263698  
CG-DL-E-10062025-263698

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947

No. 332]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2025

**सा.का.नि. 375(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला नियंत्रक संगठन (समूह 'क' पदों) भर्ती नियम, 1986, जहां तक उनका संबंध उप सहायक कोयला नियंत्रक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय में उप सहायक कोयला नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन, उप सहायक कोयला नियंत्रक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरर्हता – (1) वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम।                                           | पद की संख्या।                                                                 | वर्गीकरण।                                                                                                                  | वेतन मैट्रिक्स में स्तर।                        | चयन पद या अचयन पद।                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                  | (2)                                                                           | (3)                                                                                                                        | (4)                                             | (5)                                                                                                                                                  |
| उप सहायक कोयला नियंत्रक।                             | 2 (2025)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।                    | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।                                                                    | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100 - 177500 रु.) | चयन।                                                                                                                                                 |
| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।                  | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
| (6)                                                  | (7)                                                                           | (8)                                                                                                                        | (9)                                             | (10)                                                                                                                                                 |
| लागू नहीं होता।                                      | लागू नहीं होता।                                                               | लागू नहीं होता।                                                                                                            | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।             | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।                                                                    |

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति के लिए:

वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उक्त श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना तथा लेखा, पेंशन, सतर्कता मामलों से संबंधित कार्यक्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1 : इन संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले मौजूदा पदधारी के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष की होगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि वे उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी संगठनों या स्वाशासी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9 (53100 - 167800 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (47600 - 151100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 (44900 - 142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री;

(ii) प्रशासन या स्थापना या लेखा या पेंशन मामलों में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सम्मिलित है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (13)                                                                        |
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-<br>1. संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय - अध्यक्ष;<br>2. कोयला नियंत्रक - सदस्य;<br>3. उप सचिव या निदेशक (स्थापना), कोयला मंत्रालय - सदस्य;<br>4. निदेशक, कोयला नियंत्रक संगठन - सदस्य।<br>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- | प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।               |

|                                                |            |  |
|------------------------------------------------|------------|--|
| 1. संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय                | — अध्यक्ष; |  |
| 2. कोयला नियंत्रक                              | — सदस्य;   |  |
| 3. उप सचिव या निदेशक (स्थापना), कोयला मंत्रालय | — सदस्य;   |  |
| 4. निदेशक, कोयला नियंत्रक संगठन                | — सदस्य।   |  |

[फा. सं. 18/07/2019-CPAM/Estt(Part-I)]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2025

**G.S.R. 375(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coal Controller's Organisation (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the post of the Deputy Assistant Coal Controller, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Coal Controller in the Ministry of Coal, Coal Controller's Organisation, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Coal, the Coal Controller's Organisation, Deputy Assistant Coal Controller (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. — No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post.                     | Number of post.                                                    | Classification.                                                                                                | Level in pay matrix.                             | Whether selection post or non - selection post.                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                               | (2)                                                                | (3)                                                                                                            | (4)                                              | (5)                                                                                                                                                              |
| Deputy Assistant Coal Controller. | 02*(2025)<br>*Subject to variation dependent on workload.          | General Central Service, Group, 'A', Gazetted, Non-Ministerial.                                                | Level -10 in the pay matrix (Rs. 56100- 177500). | Selection.                                                                                                                                                       |
| Age-limit for direct recruits.    | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any.                     | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
| (6)                               | (7)                                                                | (8)                                                                                                            | (9)                                              | (10)                                                                                                                                                             |
| Not applicable.                   | Not applicable.                                                    | Not applicable.                                                                                                | Two years for promotees.                         | By promotion failing which by deputation (including short- term contract).                                                                                       |

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.

(11)

**Promotion:**

Administrative Officer in the pay level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with five years' regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the area of work related to administration, establishment and accounts, pension, vigilance matters.

Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for existing incumbent holding the feeder post on regular basis on the date of notification of these revised rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (Including short term contract):**

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or statutory organisations or autonomous or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research Institute,-

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in parent cadre or Department; or

(iii) with four years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in parent cadre or Department; or

(iv) with five years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience,-

(i) Bachelors Degree of a recognised University or Institute;

(ii) three years' experience in administration or establishment or accounts or pension matters.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration

for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall not ordinarily exceed three years.

Note 3:-The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (13)                                                                                             |
| <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary, Ministry of Coal – Chairperson;</li> <li>2. Coal Controller – Member;</li> <li>3. Deputy Secretary or Director (Establishment), Ministry of Coal – Member;</li> <li>4. Director, Coal Controller Organisation – Member.</li> </ol> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary, Ministry of Coal – Chairperson;</li> <li>2. Coal Controller – Member;</li> <li>3. Deputy Secretary or Director (Establishment), Ministry of Coal – Member;</li> <li>4. Director, Coal Controller Organisation – Member.</li> </ol> | <p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.</p>             |

[F. No. 18/07/2019-CPAM/Estt(Part-I)]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.